नोट : 1. प्रत्येक हिताधिकारी के लिए अलग- अलग आवेदन पत्र | Separate application for each beneficiary.

निर्देश पत्र जारी किए गए दिनांक से 40 दिनों के लिए विधिमान्य है।

REFERRAL LETTER VALID FOR FORTY DAYS FROM THE DATE OF ISSUE.

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (पंजीकृत) ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (REGD.)

सीएस (एमए) नियम, 1944के तहत चिकित्सा परिचर्या / आयुर्वेदिक उपचार / होमियोपैथी दवा प्रणाली का लाभ उठाने हेतु फार्म

FORMS FOR AVAILING OF MEDICAL ATTENDANCE/ TREATMENT UNDER THE AYURVEDIC/ HOMEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE UNDER CS(MA) RULES, 1944.

1.	कर्मचारी का नाम एवं सी.एच.एस.एस.पंजीकरण संख्या	:
	Name of the employee and CHSS Registration No.	
2.	पदनाम एवं संगणक संकेत सं.	:
	Designation & Comp. Code No.	
3.	प.उ.शि.स. के विद्यालय की संख्या	:
	AEES School No.	
4.	आवेदन पत्र की तिथि के समयवेतनमान एवं अगली वेतन	:
	वृद्धि की तिथि	
	Pay as on the date of application with date of next	
	increment	
5.	विधिमान्य का नाम जो उपचार हेतु अपेक्षित है	
	अ) कर्मचारी के साथ सम्बंध	:
	ब) विधिमान्य की जन्मतिथि	:
	Name of beneficiary for whom the treatment is	
	required.	:
	a)Relationship with the employee	
	b)Date of birth of the beneficiary	:
	, i	
6.	किस अपेक्षित उपचार के अंतर्गत दवा की प्रणाली (जो लागु	आयुर्वेदिक / होमियोपैथी
	नहीं है उस पर चिन्हांकित कीजिए)	
	System of medicine under which Treatment is	AYURVEDIC / HOMEOPATHY
	required (please strike whichever is not	
	applicable.)	
7.	किस बीमारी के विवेकाधिकार के लिए उपचार अपेक्षित है	
	,	:
	Broad description of ailment for which treatment	
	is required.	
8.	जहाँ से उपचार कर रहे हो उस अस्पताल/ प्राधिकृत चिकित्सा	
	परिचर का नाम व पता	:
	Name and address of Hospital/Authorised Medical	
	attendant from whom treatment is to be taken.	
9.	कर्मचारी के निवास पता /Residential Address of	
	Employee.	
दिनांक /Date : / /20		
		आवेदक के हस्ताक्षर /Signature of the applicant

.. 2 .. विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय में कार्रवाई हेतु Action in School/Junior College

संदर्भ/Ref.:	दिनांक / Date :
प्रमाणित किया जात	ा है कि
	ाम)पदनाम
	सीएचएसएस संख्या
(अनुभाग)	—————————————————————————————————————
	सीएचएसएस संख्या सहित विधिमान्य है आवेदन पत्र में परिवार के सदस्यों
को भी सीएचएसएस	के अंतर्गत पंजीकृत किया है
Certified that	
(Name)	(Designation) is a CHSS beneficiary with
(Division)	(C.C. No.)
CHSS No.	Member of family mentioned in the application is
also registered un	
संबंधित सहायक	प्रधानाचार्य,प.उ.के.वि./प.उ.क.म.वि./स.प्र. अ.(स्था)
Dealing Assistant	Principal, AECS/AEJC/AAO(EST)
	केंद्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई
	Action in Central Office
हमारे रिकार्ड हेतु वि	वरण सत्यापित किया गया है
•	ls from our records
•	धेकारी से निवेदन है की इस निर्देश पत्र को जारी करने से पहले अनुमोदित करे़ approve before issue of referral letter.
CAO may please o	approve before issue of referral letter.
संबधित सहायक/	सप्रअ(स्था)/प्रशासनिक अधिकारी-॥। मु.प्र.अ.
Dealing Assistant	AAO(E) ADMO-III CAO